INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

: : 1 : :

पट्टा विलेख : अवधि 30 वर्ष

पट्टे पर दी जा रही सम्पत्ति नगर निगम व विकास क्षेत्र मेरठ की सीमा के अन्दर स्थित है।

स्टाम्प शुल्क : 3600/- रूपये।

हम कि सिमबॉयोसिस इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशनस, पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ शहर द्वारा चेयरमैन श्री ब्रह्मपाल सिंह पुत्र चौधरी राम निवास सिंह निवासी कोठी पोन प्लेजर, शिवाजी रोड, मेरठ शहर...प्रथम पक्ष/पट्टादाता।

एवं

फोर्टे इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, ग्रीन पार्क मवाना रोड, मेरठ द्वारा सचिव श्री दिव्य पाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह निवासी 105 शास्त्री नगर, मेरठ शहर...द्वितीय [illegible]

जो कि आवासीय भूमि क्षेत्रफल 6174 (छः हजा[illegible] [illegible] चौहत्त[illegible] [illegible] खसरा नं0 220 (दो सौ बीस) स्थित ग्राम [illegible] [illegible] रोड [illegible] जिसका एक मात्र स्वामी व अधिपति प्रथम पक्ष पट्टा दाता [illegible] भूमि [illegible] प्रत्येक प्रकार के ऋण [illegible] [illegible] [illegible]

Forte Institute of Technology Meerut

24 JUL 2006

253151

है। द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्य हेतू 30 तीस वर्ष की अवधि हेतू लेने की इच्छा प्रथम पक्ष से दिनांक 17-1-2005 ई0 को व्यक्त की थी। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी उक्त भूमि 6174 वर्ग मीटर को अंकन 6000/- छः हजार रूपये वार्षिक लीज रेन्ट की दर से द्वितीय पक्ष को देना तय कर लिया था। प्रथम पक्ष ने 5000 वर्ग मीटर भूमि दिनांक 17-1-2005 ई0 को व 1174 वर्ग मीटर भूमि उसके बाद द्वितीय पक्ष को दे दी थी। जिसके सम्बन्ध में यह पट्टा विलेख निष्पादित किया जा रहा है। अतः बाबत पट्टा अवधि 30 वर्ष पक्षकारान - निम्न नियमों व शर्तों के पाबन्द होते है:-

1. यह कि उक्त आवासीय भूमि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर प्रदान की है। पट्टे की अवधि दिनांक 17-1-2005 ई0(सत्रह जनवरी सन् दो हजार पांच ईस्वी) से प्रारम्भ हो गई है जो निरन्तर कुल तीस वर्ष की अवधि तक अर्थात 16-1 2035 (सोलह जनवरी दो हजार पैंतीस ईस्वी) तक जारी रहेगी।

2. यह कि उक्त भूमि का कुल वार्षिक लीजरेन्ट/ किराया पक्षकारान के मध्य 6000/- रूपये तय किया गया है। द्वितीय पक्ष वार्षिक लीजरेन्ट प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह मे अग्रिम रूप मे प्रथम पक्ष को नियमित रूप से अदा करते रहेंगे

3. यह कि उक्त भूमि पर स्थल पर कब्जा प्रथम द्वारा लीज अवधि के शुरू होने पर द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया गया था। द्वितीय पक्ष ने कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त उक्त भूमि पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्य

Forte Institute of Technology Meerut

10 10 KS

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

OFFICER MEERUT

:: 3 ::

253152

हेतु विशाल तीन मंजिली बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है एवं पार्क आदि विकसित कर लिये हैं, तथा सम्पत्ति को शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। द्वितीय पक्ष लीज की अवधि पूर्ण होने तक अपना शिक्षण कार्य उक्त सम्पत्ति में निरन्तर चलाते रहने के अधिकारी रहेंगे।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त भूमि पर अन्य बिल्डिंग आदि बनाये एवं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करे तथा उसके सम्बन्ध में सिक्योरिटी या बन्धक आदि की समस्त कार्यवाही पूर्ण करे। इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. यह कि लीज की अवधि जारी रहने तक अर्थात भूमि लीज पर लेने से कुल 30 वर्ष तक द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि वापिस करने के लिये प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

6. यह कि उक्त पट्टे की अवधि समाप्त होने पर उक्त भूमि से अपने निर्माण आदि हटाकर, भूमि का खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को वापिस करने के पाबंद रहेंगे।

7. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को कॉलिज व शिक्षण कार्य के अलावा अन्य किसी प्रयोग में नहीं लायेंगे। परन्तु कॉलिज, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स व शिक्षण कार्य से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य उक्त भूमि में करने का द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर जो कॉलिज चलायेंगे, उसके सम्बन्ध में [illegible] प्रकार के शुल्क आदि स्वयं द्वितीय पक्ष द्वारा [illegible] किये जायेंगे।

Forte Institute of Technology Meerut

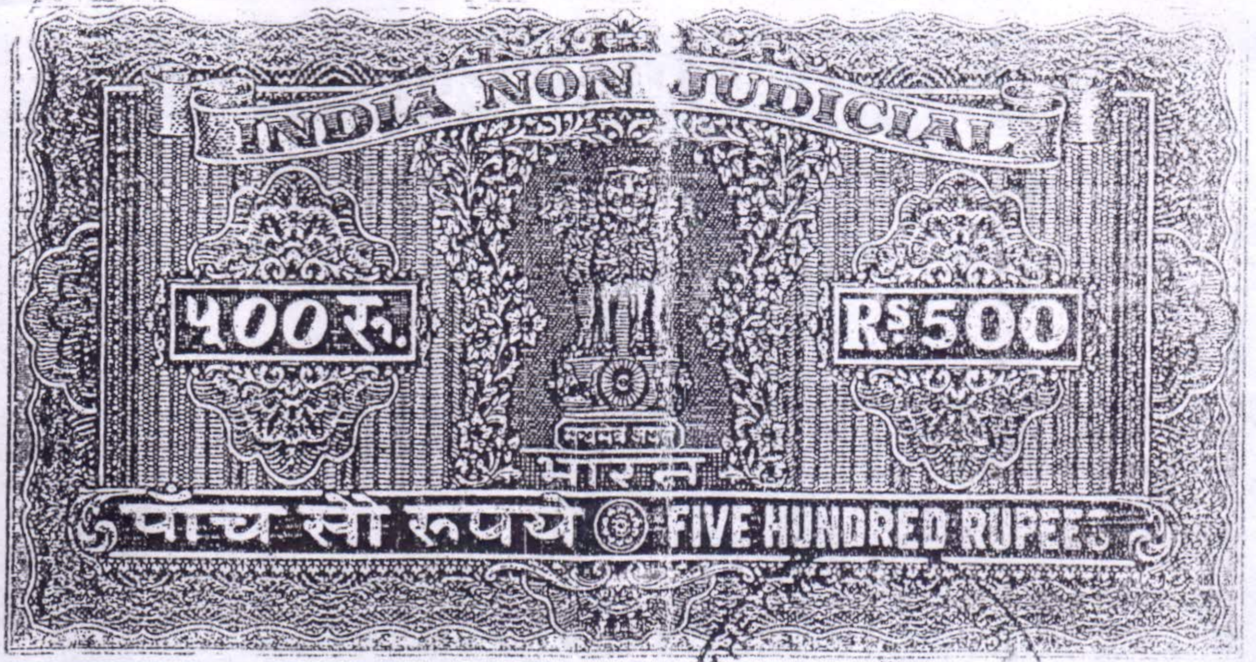

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24 JUL 2006

017564

: : 4

9. यह कि उक्त भूमि पर चलाये गये कॉलिज व शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कार्य व्यवहार व लेन-देन आदि के प्रति प्रथम पक्ष व उसकी सम्पत्ति पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि को सबलेट नहीं किया जायेगा और ना ही द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि में कोई लाईसेन्सी आदि रखने का अधिकार होगा।

11. यह कि इस पट्टा विलेख की शर्तो व नियमों के प्रति पालन हेतु दोनों पक्षकार व उनके उत्तराधिकारीगण व प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि पूर्णतया बाध्य रहेंगे। अतः पक्षकारान ने यह पट्टा विलेख बाबत अवधि 30 वर्ष स्वेच्छापूर्वक स्वस्थ मन मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की अवस्था में लिख दिया एवं निम्न साक्षीगण के सम्मुख निष्पादित कर दिया, ताकि प्रमाणित एवं उपयोगी हो। इति।।

इस पट्टा विलेख के साथ पट्टे पर दी गयी भूमि की माप व चतुर्सीमाओं के सम्बन्ध में नक्शा संलग्न है। संलग्न नक्शे में पट्टे पर दी गई सम्पत्ति पार्ट-ए के रूप में गुलाबी लाइनों के अन्दर दर्शायी गयी है। संलग्न नक्शा इस पट्टा विलेख का भाग रहेगा।

चतुर्सीमाएं भूमि मजकूर

उत्तर/पूर्व	सीमा ग्राम रजपुरा व सड़क 60 फिट चौड़ी।
दक्षिण/पश्चिम	शेष भूमि प्रथम पक्ष पट्टा दाता।
उत्तर/पश्चिम	शेष भूमि प्रथम पक्ष पट्टा दाता।

Forte Institute of Technology
Meerut

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 7777 4

:: 5 ::

पूरब/दक्षिण शेष भूमि प्रथम पक्ष पट्टा दाता तत्पश्चात सीमा रजपुरा

Virendra Singh

दिनांक 27 ? 200? 50

पालेख